

नारी/कृषि/सिख  
7/3/14

संख्या: 305/XI/14/53(08)11TC-I

प्रेषक,  
विनोद फोनिया,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
यू0एस0आर0एल0एम0,  
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग।

देहरादून, दिनांक: 7 फरवरी, 2014

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अधिप्राप्ति नियमावली, 2012 को राज्य में लागू किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 166/40/यू0एस0आर0एल0एम0/2013 दिनांक: 23.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अधिप्राप्ति नियमावली 2012 को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु अंगीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन से दिए गए अनुमोदन/सहमति के क्रम में राज्य में संचालित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु निर्धारित अधिप्राप्ति नियमावली लागू किए जाने की सहमति प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,  
H. P. Singh  
(एस0पी0 सिंह)  
अनु सचिव।

OK  
4-3-14